250

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:–www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ.55( )अभि./सीई/डीएलबी/2019/100 दिवस का.यो./9456-9647 दिनांक :26/03/19

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः 100 दिवसीय कार्ययोजना अन्तर्गत राशि आवंटन हेतु कार्यादेश की प्रति भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः विभागीय पूर्व समसंख्यक पत्रांकः 3737–3937 दिनांक 22.02.2019 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र (नीति–पत्र) के कतिपय बिन्दुओं पर विभाग द्वारा 100 दिवसीय कार्ययोजना तैयार की जाकर इसका नगर निकायों के स्तर पर समयबद्ध क्रियान्वयन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस हेतु निदेशालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा निम्न कार्यो के लिये समस्त नगरीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार राशि का प्रावधान किया गया है :–

1. पार्क में संरक्षण/संवर्द्धन के कार्य :–जयपुर नगर निगम में 08, शेष प्रत्येक नगर निगम में 05, प्रत्येक नगर परिषद में 03 एवं द्वितीय श्रेणी की प्रत्येक नगर पालिका में 02 पार्क एवं तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की प्रत्येक नगर पालिकाओं में 01 पार्क में संरक्षण/संवर्द्धन के कार्य करवाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया एवं प्रत्येक नगर निगम में राशि रू. 100.00 लाख, प्रत्येक नगर परिषद में राशि रू. 50.00 लाख तथा प्रत्येक नगर पालिका में राशि रू. 25.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

2. श्मशानों/कब्रिस्तानों में विकास कार्य : उक्त कार्य हेतु प्रत्येक नगर निगम में राशि रू. 100.00 लाख, प्रत्येक नगर परिषद में राशि रू. 50.00 लाख एवं प्रत्येक नगर पालिका में राशि रू. 20.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा उक्तानुसार दोनों कार्यो पर कुल राशि रूपये 116.40 करोड़ का व्यय किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसमें 90 प्रतिशत राशि रूपये 104.76 करोड़ हुड़कों से RUIRP Phase I&II के अंतर्गत स्वीकृत करवाये गये ऋण से उपलब्ध करवाई जावेगी तथा शेष 10 प्रतिशत हिस्सा राशि सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा स्वयं वहन की जावेगी।

नगर निकायों को उक्तानुसार स्वीकृत ऋण राशि में से 40 प्रतिशत राशि का आवंटन कार्यादेश जारी होने के पश्चात्, 40 प्रतिशत राशि का आवंटन पूर्व में आवंटित राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र/कार्यो की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरान्त तथा शेष 20 प्रतिशत राशि का आवंटन कार्यो के पूर्णता प्रमाण–पत्र/उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जावेगा।

अतः उक्तानुसार दोनों कार्यो के कार्यादेश की प्रति निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि सम्बन्धित नगरीय निकायों को राशि उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जा सकें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः एफ.55( )अभि. / सीई / डीएलबी / 2019 / 100 दिवस का.यो. /9648-694 दिनांकः 20/03/19

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. अधिशाषी अभियन्ता, निदेशालय।
7. सहायक लेखाधिकारी, अभियान्त्रिकी प्रकोष्ठ, निदेशालय।
8. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ईमेल करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

(उम्मेद सिंह गोदारा)
मुख्य लेखाधिकारी